पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-77
दिनांक-09.01.2025

जोन-पूर्वी / विभूतिखण्ड

- **अवैध देशी पिस्टल रखने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध देशी पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**
- **पुलिस उपायुक्त पूर्वी व थाना विभूतिखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को रोहतास प्लूमेरिया, विभूतिखण्ड से किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.01.2025 को उ.नि. श्री प्रमोद सिंह, थाना विभूतिखण्ड की फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना विभूतिखण्ड लखनऊ पर अभियुक्त प्रतीक सिंह के विरुद्ध मु0अ0सं0 0010/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 09.01.2025 को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना कि एक व्यक्ति अवैध पिस्टल लिये रोहतास प्लूमेरिया के पास खड़ा है इस सूचना पर पुलिस उपायुक्त, पूर्वी व थाना विभूतिखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहाँ अभियुक्त से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए ब्लैक जैकेट के अन्दर सिंगल सोल्डर गन होलिस्टर पहने हुये पाया गया।

जिसकी बायीं तरफ उसके पाउच में 01 अदद देशी पिस्टल .32 बोर व कार्ट्रिज स्ट्रिप में लगा 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर(7.65mm) बरामद हुआ। अभियुक्त से बरामद पिस्टल व कारतूस के सम्बन्ध में कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सका।

हिकमत अमली से पूछने पर बताया कि यह पिस्टल राह चलते व्यक्ति से खरीदी थी जिसे मैं लोगों में भौकाल मारने के लिये अपने पास रखता हूँ। जिसके क्रम में मौके पर पुलिस टीम द्वारा फर्द बरादमगी/गिरफ्तारी तैयार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जुर्म व जुर्म की धारा से अवगत कराते हुए अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्य-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह पिस्टल राह चलते व्यक्ति से खरीदी थी, लोगों में भौकाल मारने के लिये यह पिस्टल अपने पास रखता हूँ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रतीक सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी परौका थाना बेवर जिला मैनपुरी हाल पता मकान नं0 9 कन्हैया नगर कंचना बिहारी मार्ग कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 31 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर (7.65mm) मय सिंगल सोल्डर गन होलिस्टर

05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0010/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थाना/इकाई/जनपद से की जा रही है।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह,थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
2. उ0नि0 श्री शिवम कुमार, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
3. कां0 अभिषेक कुमार, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
4. का0 अमित कुमार, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
5. समस्त सर्विलांस/क्राइम टीम, पूर्वी, कमिश्नरटे लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-80

दिनांक-09.01.2025

जोन- पूर्वी / थाना- पीजीआई

- **उतरेठिया पुल के पास परिवहन विभाग के कर्मचारियों व पुलिस के साथ हाथापाई व तोड़-फोड़ मारपीट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **दिनांक 08.01.2025 नशे की हालत मे अभियुक्त व 02 नाबालिगों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुये लोक सेवकों से हाथापाई करते हुये की गयी मारपीट।**
- **थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये शेष दो नाबालिग के विरुद्ध अलग से विधिक कार्यवाही की गयी।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.01.2025 को वादी सहायक यातायात निरीक्षक दुबग्गा डिपो लखनऊ श्री ऋषभ प्रताप सिंह मय हमराह सहायक यातायात निरीक्षक देवेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश प्रताप सिंह निवासी आईआईएम रोड प्लाट नं0 1516 रायपुर लखनऊ द्वारा उतरेठिया चौराहा थाना पीजीआई लखनऊ पर नशे की हालत मे पुलिस व वादी के साथ मारपीट करने वाले 03 लड़को को जिनके नाम क्रमशः नामजद 02 नाबालिग लड़के व चुन्नु सिंह पुत्रगण स्व0 बच्चू सिंह निवासीगण न्यू डिफेन्स कालोनी उतरेठिया थाना पीजीआई लखनऊ है को थाने लाकर उनके विरुद्ध लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-11/2025 धारा 121(1)/132/324(4)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

सूचना पर विवेचक द्वारा थाने आकर पूछताछ किये जाने के दौरान चुन्नु सिंह पुत्रगण स्व0 बच्चू सिंह निवासी- न्यू डिफेन्स कालोनी उतरेठिया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ द्वारा थाने पर भी वादी मुकदमा सहायक यातायात निरीक्षक दुबग्गा डिपो लखनऊ श्री ऋषभ प्रताप सिंह पुत्र धर्मेन्द्र प्रताप सिंह व उनके साथी सहायक यातायात निरीक्षक देवेन्द्र से आरोप- प्रत्यारोप लगाते हुये वाद विवाद करते हुये आमदा फौजदारी होने लगा ।

मौके पर पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया किया गया परन्तु अभि0 चून्नू सिंह उपरोक्त और अत्यधिक उग्र होने लगा, मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग होने व संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत एकपक्षीय **चून्नू सिंह उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस के तहत हिरासत पुलिस में लेकर चालान अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस में द्वारा चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय किया गया ।**

शेष दो अभि0गण के नाबालिग होने के कारण उनके विरुद्ध अलग से विधिक कार्यवाही कर मुनासिब हिदायत देते हुये उनकी मां के साथ सुपुर्द कर थाने से रुखसत किया गया ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-76
दिनांक-09.01.2025

जोन- पश्चिमी / माल

- थाना माल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

संक्षिप्त विवरण:

आज दिनांक 09.01.2025 को उ0नि0 प्रिन्स कुमार मय हमराही मुख्य आरक्षी आदित्य कुमार के अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध अभियान में ग्राम अऊमऊ में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति ग्राम अऊमऊ व बघोलवा के बीच पड़ने वाली पुलिया पर अवैध कच्ची शराब बेच रहा है मुखबिर खास की इस सूचना पर हम पुलिस वाले उस व्यक्ति को अऊमऊ बघोलवा पुलिया से मय एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/2025 धारा 60 Ex Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-सुनील कश्यप पुत्र नन्हक्के नि0 ग्राम अऊमऊ थाना माल लखनऊ उम्र 32 वर्ष

बरामदगी-

अभियुक्त से बरामद 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- उ0नि0 श्री प्रिन्स कुमार
2- मु0आ0 आदित्य कुमार

साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ

ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in

मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं. 79

दिनांक-09/01/2025

साइबर क्राइम थाना लखनऊ द्वारा विगत सप्ताह में लगभग 1693841.92 /- रूपये व विगत माह में लगभग 5202223.65/- रूपये की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि विगत माह में साइबर अपराधियो द्वारा विभिन्न तरीको से बहला-फुसलाकर आम जनमानस के साथ साइबर फ्रॉड किया गया, जिनके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में ठगी की गयी धनराशि की बरामदगी/वापसी हेतु टीम गठित की गयी, जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना लखनऊ के निर्देशन में टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये **विगत सप्ताह में लगभग 1693841.92 /-** रूपये व **विगत माह में लगभग 5202223.65/- रूपये** की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

अभियोग एवं वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-

साप्ताहिक		
क्र0सं0	**क्राइम नं0**	**वापस करायी गयी धनराशि (रू. में)**
1	175/2024	337519
2	184/2024	50000
3	200/2024	308688
5	191/2024	216000
6	170/2024	150929.92
7	95/2024	625000
8	94/2024	5705
कुल योग		**1693841.92**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 78
दिनांक-09.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त/अराजक तत्व को थाना इटौंजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 09.01.2025 को उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र में मामूर होकर जांच आईजीआरएस में मामूर होकर ग्राम कल्याणपुर मे आये तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के अंकित पुत्र सुखदेव निवासी कल्याणपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के कृष्णा गुप्ता पुत्र राजा निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष में दिनांक 30.12.2024 को प्रथम पक्ष के अंकित कुमार उपरोक्त की बहन तथा विपक्षी कृष्णा गुप्ता के बीच फोन करने को लेकर आपस में वाद-विवाद आमदा फौजदारी हो रहे थे।

पुलिस बल द्वारा दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया प्रथम पक्ष मान गये परन्तु द्वितीय पक्ष मानने को तैयार नही हुये और अधिक उत्तेजित होकर आमदा फौजदारी होने लगे। संज्ञेय अपराध की घटना को रोकने व लोक शांति को कायम रखने हेतु कृष्णा गुप्ता उपरोक्त को आज दिनाँक 09/01/2025 को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. कृष्णा गुप्ता पुत्र राजा निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष (व्यवसाय- निल)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

01-उ0नि0 प्रवीन कुमार थाना इटौंजा लखनऊ
02-का0 अमित चोपड़ा थाना इटौंजा लखनऊ